विज्ञापन संख्या–519375/रा0यो0आ0/2019

[राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून]

राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा **मुख्यमंत्री** उत्तराखण्ड युवा **पेशेवर नीति, 2019 एंव संशोधित नीति, 2020** के अन्तर्गत इच्छुक युवा पेशवर जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही योजनाओं और परियोजनाओं के अनुश्रवण एंव मूल्यांकन कार्य/सर्वेक्षण/विश्लेषण/प्रकाशन कार्य/सूचना प्रौद्योगिकी/नीति पत्र को तैयार करने में कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो, निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकते है।

1. इच्छुक अभ्यार्थी अपना आवेदन पत्र **अपर सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, विश्वकर्मा भवन, कक्ष संख्या–323, 4–सुभाष रोड, देहरादून** के पते पर दिनांक 02 मई, 2021 के सांय 5.00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड डाक द्वारा उपलब्ध करा दें, तदुपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नही होंगे।
2. विज्ञापन का पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाइट (spc.uk.gov.in तथा uk.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदनों को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग के पास सुरक्षित होगा।

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

विज्ञापन संख्या–5/9 375/रा0यो0आ0/2019

आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर 2019 एंव संशोधित नीति, 2020 के अन्तर्गत अन्तर्गत ग्यारह माह के लिए दो युवा पेशेवरों को रखे जाने हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग सचिवालय परिसर में मूल्यांकन अध्ययन तथा best practices आदि कार्यो के सम्पादन हेतु राज्य योजना आयोग, नियोजन द्वारा **मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर नीति 2019 एंव संशोधित नीति, 2020 नीति 2019 एंव संशोधित नीति, 2020** के अन्तर्गत ग्यारह माह के लिए दो युवा पेशेवरों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

आवश्यक निर्देश–

1. युवा पेशेवरों के कार्य किये जाने की अवधि ग्यारह माह निर्धारित हैं।
2. युवा पेशेवर कार्यक्रम के अधीन, आवेदकों के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किये गये है। सभी युवा पेशेवरों के लिये आवश्यक है कि वे:–
   - क. भारत के किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि धारक (न्यूनतम 50 प्रतिशत) धारक हो:
     परन्तु, प्राप्तांक, राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति एंव अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए (न्यूनतम 45 प्रतिशत)।
   - ख. श्रेष्ठता की गणना स्नातक व परास्नातक में प्राप्त अंको तथा कार्य अनुभव के आधार पर की जायेगी। विशेष कार्य अनुभव को वरीयता प्रदान की जायेगी।
   - ग. विज्ञापन की तिथि को आयु 22 से 30 वर्ष के मध्य हो।
   - घ. योजनाओं और परियोजनाओं के अनुश्रवण एंव मूल्यांकन कार्य/सर्वेक्षण/विश्लेषण/प्रकाशन कार्य/सूचना प्रौद्योगिकी/नीति पत्र को तैयार करने में कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।
   - ड युवा पेशेवर को हिन्दी, अंग्रेजी, कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान आवश्यक होगा।
3. आवेदक के विरूद्व पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही न होने तथा विभागीय स्तर पर कार्यवाही लम्बित न होने का स्व प्रमाणित प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच (scrutiny) के उपरान्त अर्ह अभ्यार्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक को डाक/ई–मेल के द्वारा सूचित किया जायेगा।

5. साक्षात्कार में चयनित आवेदकों को सूचीबद्ध किया जायेगा। सूचीबद्ध होने का सम्पादन के दौरान किसी विपरीत कार्यों में संलग्न पाये जाने/कार्यो में शिथिलता की दशा में युवा पेशेवर को कभी भी हटाया जा सकता है।
6. युवा पेशेवर द्वारा निर्धारित अवधि पूरा न करने पर युवा पेशेवर को प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा।
7. चयनित अभ्यर्थी/युवा पेशेवर को प्रतिमाह रू0 35,000/- की एक टोकन वृत्तिका मासिक रूप से निर्धारित हैं। यदि कोई युवा पेशेवर, युवा पेशेवर मध्य में ही, अर्थात सत्र (11 माह) के पूर्ण होने से पहले ही छोड़ देता है तो वह अवशेष वेतन तथा प्रमाणपत्र का हकदार नहीं होगा।
8. मुख्यामंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर नीति 2019 उल्लिखित "युवा पेशेवरों के दायित्वों" का निर्वहन किया जाना होगा।
9. युवा पेशेवर को निर्दिष्ट कार्यों के अन्तर्गत किये जाने वाले क्षेत्र कार्य (Field Work) हेतु टी0ए0 के लिए रू0 100 तथा डी0ए0 हेतु रू0 200 प्रतिदिन देय होगा।
10. आवेदक अपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप Annexure-B पर **अपर सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, विश्वकर्मा भवन, कक्ष संख्या-323, 4-सुभाष रोड, देहरादून** के पते पर दिनांक 02 मई, 2021 के सांय 5.00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड डाक द्वारा उपलब्ध करा सकते है, तदुपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।
11. आवेदनों को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग के पास सुरक्षित होगा।

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, विश्वकर्मा भवन, राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड सुभाष रोड, देहरादून के दूरभाष संख्या-0135-2710868 से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

Anand

(डॉ0आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

FORMAT

Annexure "8"

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, युवा पेशेवर 2019 एंव संशोधित नीति, 2020

आवेदन पत्र प्रारूप

1. आवेदक का नाम :
2. पिता / पति का नाम :
3. पत्राचार हेतु पता :
4. स्थाई पता :
5. ईमेल :

6. मो0न0–

स्व प्रमाणित फोटो

7. जन्म तिथि :
8. शैक्षिक योग्यता :

क्र0 सं0	परीक्षा का नाम	उत्तीण का वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्रप्तांक / प्रतिशत	विषय

9. युवा पेशेवर अवधि :
10. अनुभव (यदि कोई हो) :
11. आपने युवा पेशेवर का चयन क्यों किया है (चयनित सैक्टर के सम्बन्ध में अधिकतम 100 शब्दों का उल्लेख पृथक पृष्ठ में संलग्न करें) :
12. आवेदक, अपनी दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा विश्वविद्यालय / संस्थान का परिचय पत्र (अध्ययनरत् होने की स्थिति में) संलग्न करेगा।
13. आवेदक इस आशय का स्वः प्रमाणित घोषणा पत्र संलग्न करेगा कि उसके विरूद्ध सम्बन्धित विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा किसी प्रकार की कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है तथा उसके विरूद्ध कोई पुलिस केस नहीं है।
14. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड युवा पेशेवर नीति, 2019 के अन्तर्गत किसी भी विभाग / मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी कार्यालय में कार्य नही किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक का नाम)

दिनांक:

स्थान: